


मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 21/08/2020

क्रमांक 1028/1881/2020/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. बृजेश कुमार जोशी, सह प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी, जिला बडवानी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) खण्ड (ए) के अधीन उनके स्वयं के आवेदन पर दिनांक 01.04.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(श्वेता पवार)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 21/08/2020

पृ.क्रमांक 1029/1881/2020/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म.प्र.
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
5. जिला कोषालय अधिकारी, बडवानी,
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इंदौर संभाग, इंदौर,
7. प्राचार्य, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी, जिला बडवानी
8. संबंधित डॉ. बृजेश कुमार जोशी, सह प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बडवानी, जिला बडवानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग